Machine Translated by Google

मृतक दावा नीति

प्रस्तावना

मृतक दावा नीति 20 अगस्त 2019 को बोर्ड की मंजूरी से तैयार की गई है। इस नीति का आधार बैंकों द्वारा मृतक दावे के निपटान के संबंध में आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2004-05/490 डीबीओडी. संख्या लेग. बीसी.95/09.07.005/2004-05 दिनांक 09 नवंबर, 2005 पर आधारित है और इसमें ऐसे निपटान से निपटने की प्रक्रियाओं के संबंध में आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न निर्देश और दिशानिर्देश शामिल हैं। यह नीति 26 अप्रैल, 2021 से शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ("बैंक") के सभी ग्राहकों पर लागू होगी।

परिचय

किसी व्यक्ति की मृत्यु, शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के लिए मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से अशांत समय होता है।
मृतक जमाकर्ताओं के दावा अनुरोधों का शीघ्र निपटान मृतक ग्राहक के कानूनी उत्तराधिकारियों/नामांकित व्यक्ति/उत्तरजीवी के लिए एक सांत्वना होगी। बैंक कुशल और परेशानी मुक्त नीति अपनाएगा
शाखाओं/मुख्य कार्यालय द्वारा दावा याचिकाओं का निपटान करना, तथा यह सुनिश्चित करना कि मृतक ग्राहक के धन/वस्तुओं का दावा उस व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किया जाए जो उसके हकदार हैं।
बैंक मृतक ग्राहक/ग्राहकों के संबंध में सभी दावों का निपटान करेगा तथा उनके खाते में रखे गए भुगतान/वस्तुएं जारी करेगा।
एसडीवी को दावे की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर उत्तरजीवी/नामिती को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।

बैंकों को ग्राहक सेवा समिति/बोर्ड को उचित अंतराल पर, निरंतर आधार पर, मृतक जमाकर्ताओं/लॉकर-किराएदारों/सुरक्षित अभिरक्षा लेख खातों के जमाकर्ताओं से संबंधित प्राप्त दावों की संख्या और निर्धारित अवधि से अधिक समय तक लंबित दावों का ब्यौरा, कारण सहित, रिपोर्ट करना चाहिए।

उद्देश्य

इस नीति का उद्देश्य मृतक खाताधारक के दावे के निपटान की प्रक्रिया को सुचारू बनाना तथा दावों का यथासम्भव शीघ्र निपटान करके ग्राहकों के नामितियों/उत्तराधिकारियों को उनके दावों के निपटान में होने वाली कठिनाइयों से बचाकर बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करना है।

परिभाषाएं

मृतक खाता

मृतक खाता एक बैंक खाता है, जैसे बचत, सावधि जमा या चालू खाता, जो किसी मृत व्यक्ति के स्वामित्व में होता है।

नामांकित

नामिती वह अधिकार है जो बैंक खाताधारक को एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार देता है जो उसकी मृत्यु के बाद धनराशि प्राप्त करने के हकदार होंगे।

कानूनी प्रतिनिधित्व

कानूनी प्रतिनिधित्व वह होता है जो न्यायालय द्वारा मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को मृतक के ऋण/प्रतिभूतियाँ या संपत्तियाँ वसूलने का अधिकार देता है। बैंक कानूनी प्रतिनिधित्व के माध्यम से मामले को निपटाने का विकल्प चुन सकता है।

Machine Translated by Google

निम्नलिखित दस्तावेज़ कानूनी प्रतिनिधित्व के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं:

क) उत्तराधिकार प्रमाण पत्र
ख) वसीयत और प्रोबेट
ग) प्रशासन पत्र
(घ) उच्च न्यायालय से संबद्ध प्रशासनिक जनरल का आदेश।

प्रोबेट

यह कानूनी प्रक्रिया/न्यायालय आदेश है जो सभी दावों और दायित्वों का समाधान करके मृत व्यक्ति की संपत्ति का प्रशासन करता है।
मृत व्यक्ति की संपत्ति को वैध वसीयत के तहत वितरित करना। बैंक को प्रोबेट/न्यायालय के आदेश के अनुसार कार्य करना।

प्रशासन पत्र

यह मृतक की संपत्ति के प्रशासन के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया गया आदेश है। बैंक को न्यायालय के आदेश के अनुसार कार्य करना चाहिए।

उत्तराधिकार प्रमाणपत्र

यह एक सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र/आदेश है, जिसमें मृतक व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम और मृतक की संपत्ति में उनके हिस्से का प्रतिशत घोषित किया जाता है। इसे उस स्थिति में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जब मृतक द्वारा कोई "वसीयत" तैयार नहीं की गई हो और कोई "नामांकित व्यक्ति" पंजीकृत न हो।

बिना वसीयतनामा मारा हुआ

जमाकर्ता की बिना वसीयत के मृत्यु होने का अर्थ है कि उसने अपने पीछे कोई वसीयत नहीं छोड़ी है।

गुमशुदा व्यक्ति

लापता व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटान धारा 107/108 के प्रावधानों द्वारा शासित होगा
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 107 निरंतरता की धारणा से संबंधित है और धारा 108 मृत्यु की धारणा से संबंधित है। उक्त अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, मृत्यु की धारणा उसके लापता होने की रिपोर्ट की तारीख से सात वर्ष बीत जाने के बाद ही लगाई जा सकती है। इस प्रकार, नामांकित व्यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारी/प्रोबेटेड वसीयत (यदि मृतक ने वसीयत छोड़ी है) को सक्षम न्यायालय के समक्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 107/108 के तहत ग्राहक की मृत्यु की स्पष्ट धारणा को उठाना चाहिए। यदि न्यायालय यह मानता है कि वह मर चुका है, तो लापता व्यक्ति के संबंध में दावे का निपटान किसी अन्य मृतक खाते के लिए किए जाने वाले दावे की तरह किया जा सकता है।

भुगतान का तरीका

न्यायालय के आदेश की शर्तों के अनुसार भुगतान "केवल आदाता के खाते में" पे ऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाना चाहिए। यदि निपटान की मांग इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण (एनईएफटी/आरटीजीएस) के रूप में की जाती है, तो लाभार्थी के खाते का रद्द चेक प्राप्त करना अनिवार्य है।

टिप्पणी:

मृतक खाते में दावे का निपटान निम्नलिखित क्रम में किया जा सकता है:
नामिती को भुगतान - यदि वैध नामांकन है, तो नामिती को भुगतान करके बैंक को मुक्त कर दिया जाएगा।

यदि वैध नामांकन उपलब्ध नहीं है - तो
कानूनी उत्तराधिकारियों को भुगतान - कानूनी प्रतिनिधित्व/प्रमाणित वसीयत प्रस्तुत करने पर (यदि मृतक ने वसीयत छोड़ी हो)।

यदि कोई कानूनी प्रतिनिधित्व / प्रमाणित वसीयत नहीं है - तो

Machine Translated by Google

क्षतिपूर्ति के आधार पर कानूनी उत्तराधिकारियों को भुगतान – यदि सभी कानूनी उत्तराधिकारी एक साथ जुड़ते हैं और यदि वे एक साथ नहीं जुड़ रहे हैं या यदि कोई विवाद है, तो उन्हें न्यायालय का आदेश प्राप्त करने की सलाह दी जानी चाहिए। साथ ही, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अनिवार्य है, जहां दावा राशि 5 लाख से अधिक है।

नामांकन और उत्तरजीविता अधिदेश के बारे में ग्राहकों को शिक्षित करना

बैंक नामांकन सुविधा और उत्तरजीविता अधिदेश के लाभों के बारे में ग्राहकों को शिक्षित करने के लिए कदम उठाएगा।

उत्तरजीविता अधिदेश

"दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी" या "कोई भी या उत्तरजीवी" या "पूर्व या उत्तरजीवी" या "उत्तरवर्ती या उत्तरजीवी" के रूप में खोला गया संयुक्त खाता, जीवित खाताधारक(ओं) को निकासी के लिए खाते में जमा शेष तक निर्बाध पहुंच प्रदान करेगा या यदि सह-खाताधारक/ओं में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो खाते/खातों को संचालित करने की सुविधा प्रदान करेगा।
यदि उत्तरजीविता का अधिदेश दिया गया है, तो उत्तरजीवी बैंक को वैध उन्मुक्ति दे सकता है और उत्तरजीवी को सामान्य तरीके से भुगतान किया जा सकता है, बशर्ते कि बैंक को ऐसा भुगतान करने से रोकने के लिए किसी सक्षम न्यायालय का कोई आदेश न हो।

देयता खातों के संबंध में नामांकन नियम

नामांकन जमाकर्ताओं को उपलब्ध कराई गई सुविधा है जिसके तहत जमाकर्ताओं की मृत्यु की स्थिति में, नामांकित व्यक्ति उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या प्रशासन पत्र या वसीयत की प्रोबेट आदि प्राप्त करने की बोझिल प्रक्रियाओं से गुज़रे बिना आसानी से जमा राशि वापस ले सकता है। नामांकन सुविधा जमाकर्ता की मृत्यु पर परिवार के सदस्यों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के इरादे से शुरू की गई थी। बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम बैंकिंग विनियमन अधिनियम का हिस्सा हैं। नामांकन सुविधा मृतक जमाकर्ताओं के दावों के निपटान की प्रक्रिया को सरल बनाती है क्योंकि बैंक को जमाकर्ता की मृत्यु के समय उसके खाते में बकाया राशि का भुगतान करके या सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गए लॉकर या वस्तुओं की सामग्री को नामांकित व्यक्ति को सौंपकर वैध मुक्ति मिल जाएगी। नामांकन सुविधा पूरी तरह से स्वैच्छिक है और जमाकर्ता/किराएदार के विवेक पर निर्भर है। जमाकर्ताओं/किराएदारों को यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि नामांकन केवल मृतक जमाकर्ताओं के दावों के निपटान की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

और नामांकन सुविधा मृतक की संपत्ति पर कानूनी उत्तराधिकारी के अधिकारों को नहीं छीनती है।
कानूनी उत्तराधिकारी के ट्रस्टी के रूप में बैंक से धन/स्टॉक प्राप्त करेगा।

- संयुक्त रूप से या एकल रूप से रखे गए सभी प्रकार के जमा खातों के संबंध में नामांकन किया जा सकता है, जिसमें एकल स्वामित्व वाले खाते भी शामिल हैं। हालाँकि, निम्नलिखित प्रकार के जमा खातों के लिए नामांकन सुविधा उपलब्ध नहीं है
  हिसाब किताब:

  क) प्रतिनिधि क्षमता में रखे गए खाते - जैसे, ट्रस्टी के रूप में, परिसमापक के रूप में, कोषाध्यक्ष के रूप में आदि।
  ख) साझेदारी फर्म की हैसियत से रखे गए खाते।
  ग) संयुक्त स्टॉक कंपनियों/एसोसिएशनों/क्लबों और ऐसे अन्य संगठनों के खाते।
- नामांकन नियम का सार यह है कि यह सुविधा केवल व्यक्तिगत खाते के लिए ही उपलब्ध होगी धारक अपनी क्षमता में अकेले या संयुक्त रूप से। चूंकि ओवरड्राफ्ट खाता जमा खाता नहीं है, इसलिए कोई भी खाता जमा नहीं कर सकता है। ओवरड्राफ्ट खातों में जमा शेष राशि के लिए नामांकन सुविधा उपलब्ध है। क्रेडिट शेष राशि का निपटान सामान्य बैंकिंग और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।
- नामांकन सुविधा अनिवासी खातों के लिए भी उपलब्ध है, अर्थात एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर, आरएफसी के लिए भी निम्नलिखित प्रकार के खाते हैं:

  क) भारत में स्थायी रूप से निवास करने वाले विदेशी नागरिकों द्वारा खोले गए खाते।
  ख) विदेशी नागरिकों द्वारा खोले गए खाते जो अध्ययन, रोजगार, व्यवसाय आदि के लिए भारत में रह रहे हैं।

Machine Translated by Google

ग) ऐसे विदेशी नागरिकों द्वारा खोले गए खाते जो पर्यटन के उद्देश्य से भारत की अस्थायी यात्रा पर आए हों।

- केवल खाताधारक ही नामांकन कर सकते हैं। अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त जमा के मामले में, नामांकन जमाकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। संयुक्त जमा के मामले में, नामांकन का अधिकार जमाकर्ताओं के पास नहीं होगा।
  नामिती केवल सभी संयुक्त जमाकर्ताओं की मृत्यु पर ही बनती है। नामिती किसी अन्य नामिती को नियुक्त नहीं कर सकता है।
  नामांकन करने का अधिकार केवल जमाकर्ता(ओं) के पास निहित है
- नामांकन या तो खाता खोलते समय या उसके बाद किसी भी समय उस अवधि के दौरान स्वीकार किया जा सकता है, जिसमें जमा राशि बैंक द्वारा जमाकर्ता के खाते में जमा की जाती है।
- यदि जमाकर्ता नाबालिग है, तो नामांकन नाबालिग की ओर से कार्य करने के लिए विधिपूर्वक हकदार व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। ऐसे मामलों में नामांकन प्राकृतिक अभिभावक या उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो नाबालिग की ओर से कार्य करने के लिए विधिपूर्वक हकदार है। जब नाबालिग वयस्क हो जाता है तो एक नया नामांकन किया जाता है।
  जमाकर्ता (पूर्व नाबालिग) से नामांकन प्रपत्र या सहमति पत्र प्राप्त किया जाएगा।
- नामांकन केवल एक व्यक्ति के पक्ष में ही स्वीकार किया जा सकता है।
  केवल एक व्यक्ति, तथा एक से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में नामांकन कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, भले ही जमा राशि दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से रखी गई हो। इसके अलावा नामित व्यक्ति कोई एसोसिएशन नहीं हो सकता,
  सोसायटी, ट्रस्टी या किसी अन्य संगठन या पदाधिकारी के रूप में अपनी आधिकारिक क्षमता में।
- किसी नाबालिग को भी नामित व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। हालाँकि, ऐसे मामलों में, जमाकर्ता किसी व्यक्ति को नामित व्यक्ति के रूप में नियुक्त कर सकता है।
  किसी अन्य व्यक्ति को, जो नाबालिग न हो, नामित व्यक्ति की ओर से जमा राशि प्राप्त करने का अधिकार
  नामिती के अल्पवयस्क होने के दौरान जमाकर्ता(ओं) की मृत्यु की घटना।
- नामिती के अधिकार: बैंक जहां भी आवश्यक हो, बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियमों का पालन करेगा।
  लागू। बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियमों के अनुसार, एकमात्र जमाकर्ता या सभी जमाकर्ताओं की मृत्यु पर
  जमाकर्ताओं के मामले में, जैसा भी मामला हो, नामिती को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे:

  क) नामित व्यक्ति को उस जमाराशि पर अर्जित ब्याज सहित मूलधन प्राप्त करने का अधिकार होगा जिसके लिए उसे नामित किया गया है। प्रत्येक खाते के लिए अलग नामांकन आवश्यक है।
  दावा प्राप्त करने के लिए निर्दिष्ट नामांकन खाता-केंद्रित है, ग्राहक-केंद्रित नहीं।
  (ख) नामिती को जमा की अवधि के दौरान आवधिक ब्याज प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।
  हालाँकि, जमा की परिपक्वता पर, दावे के निपटान के समय नामिती को मूलधन के साथ-साथ अर्जित ब्याज का भुगतान किया जा सकता है।

  सी) नामिती को पहचान और अन्य प्रक्रियाओं के अधीन, समय से पहले खाता बंद करवाने का अधिकार होगा। जहाँ भी नामिती को हस्ताक्षर करना है, वहाँ उसके हस्ताक्षर के नीचे "नामांकिती" शब्द जोड़ा जा सकता है, ताकि यह पता चल सके कि वह किस हैसियत से दावा कर रहा है।

  (घ) नामित व्यक्ति जमा राशि की सुरक्षा पर ऋण लेने का हकदार नहीं होगा।

सुरक्षित जमा लॉकरों के संबंध में नामांकन नियम

यह सुविधा व्यक्तिगत क्षमता में या तो अकेले या संयुक्त रूप से रखे गए लॉकरों के लिए उपलब्ध है। इसलिए प्रतिनिधि क्षमता जैसे कि ट्रस्टी, लिक्विडेटर या कंपनियों, एसोसिएशन आदि के नाम पर किराए पर लिए गए लॉकर इस सुविधा के लिए पात्र नहीं हैं।

- केवल लॉकर किराएदार ही नामांकन कर सकता है। यदि लॉकर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किराए पर लिया गया है, तो नामांकन सभी किराएदारों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।
- नामांकन किसी भी समय स्वीकार किया जा सकता है जब तक कि सभी किराएदार जीवित हों, और लॉकर रूम का अनुबंध वैध हो।
  किराया लागू है
- प्रत्येक लॉकर के लिए अलग-अलग नामांकन आवेदन की आवश्यकता होगी। हालाँकि, जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा पहले से ही कुछ लॉकर आइटम रखे/जमा किए गए हैं और उनके संबंध में कोई नामांकन नहीं किया गया है, तो ऐसे सभी लॉकर/सामान के लिए नामांकन एक ही नामांकन आवेदन पत्र के माध्यम से किया जा सकता है, बशर्ते कि एक ही व्यक्ति को सभी लॉकर/सामान के लिए नामित व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया गया हो।

Machine Translated by Google

कोई नामित व्यक्ति किसी दूसरे नामित व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकता। जहां लॉकर/वस्तु किसी नाबालिग द्वारा किराए पर ली गई हो/जमा की गई हो, ऐसे मामलों में नामांकन नाबालिग की ओर से कार्य करने के लिए विधिपूर्वक हकदार व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

- संयुक्त रूप से किराए पर लिए गए लॉकर के मामले में, जिसमें संचालन का संयुक्त तरीका हो, किराएदारों में से किसी एक की मृत्यु होने पर, आगे कोई संचालन नहीं किया जाएगा। निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए लॉकर खाली किया जाएगा।
  और लॉकर की सामग्री नामांकित व्यक्ति और जीवित किरायेदारों को संयुक्त रूप से सौंपी जाएगी। उत्तरजीविता खंड के साथ एमओपी के लिए, लॉकर को जीवित किरायेदारों द्वारा संचालित किया जा सकता है।
- नामांकन केवल व्यक्तियों के पक्ष में स्वीकार किया जाएगा। नामित व्यक्ति कोई एसोसिएशन, सोसायटी या कोई अन्य व्यक्ति नहीं हो सकता।
  ट्रस्टी या किसी अन्य संगठन या पदाधिकारी अपनी आधिकारिक क्षमता में।
- एकमात्र किरायेदार द्वारा किराये पर लिए गए लॉकरों के मामले में, नामांकन केवल एक व्यक्ति के पक्ष में स्वीकार किया जाएगा।
- दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से किराये पर लिये गये लॉकरों के मामले में, अधिक व्यक्तियों के पक्ष में नामांकन किया जा सकता है।
  एक से अधिक व्यक्ति.
- सुरक्षित जमा लॉकर की सामग्री प्राप्त करने के लिए नाबालिग को भी नामिती के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन नामांकन के समय ही, नाबालिग नामिती की ओर से सुरक्षित जमा लॉकर की सामग्री प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति को निर्दिष्ट किया जाएगा।

- निरक्षर व्यक्तियों को भी नामित व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

खाताधारक की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर विभिन्न प्रकार के खातों में परिचालन

व्यक्तिगत खाते

किसी भी चेक का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए, भले ही वे खाताधारक की मृत्यु की तारीख से पहले के हों।

संयुक्त खाते

यदि शेष राशि उत्तरजीवी(ओं) को देय है, तो उत्तरजीवी(ओं) द्वारा हस्ताक्षरित चेक खाते के डेबिट में भुगतान किया जा सकता है। इसके अलावा, संयुक्त खाते के मामले में:

- यदि खाता दो नामों में है तथा उसका संचालन या तो एक या उत्तरजीवी है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके खाताधारकों में से किसी एक की मृत्यु की सूचना मिलने पर, खाते को उत्तरजीवी के नाम से एकल खाते में परिवर्तित करना होगा।

- तीन या अधिक नामों में खड़ा होना जहां संचालन का तरीका 'कोई भी या उत्तरजीवी' है,
  खाताधारकों में से किसी एक की मृत्यु की सूचना मिलने पर मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर खाता
  शेष दो खाताधारकों के नाम पर खाता जारी रहेगा तथा इसका परिचालन मोड 'दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी' के रूप में जारी रहेगा तथा इसके लिए नए अधिदेश की आवश्यकता नहीं है।

- संयुक्त नाम पर होने पर, जहाँ संचालन का तरीका संयुक्त है, मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके खाताधारकों में से किसी एक की मृत्यु की सूचना मिलने पर, मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों की पहचान होने तक खाते में सभी परिचालन रोक दिए जाएँगे। मृतक खाताधारक के हिस्से के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो एकल खाते में बताई गई है, जहाँ कोई नामांकन नहीं है।

मालिकाना खाते

किसी भी चेक का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए, भले ही वे खाताधारक की मृत्यु की तारीख से पहले के हों।

साझेदारी खाते

किसी भागीदार की मृत्यु से, सामान्यतः, फर्म के विघटन का कानूनी प्रभाव पड़ता है। फर्म डीड में निर्दिष्ट साझेदारी के प्रकार के आधार पर जारी रह सकती है। साझेदारी जारी रहने की स्थिति में, फर्म काम करना जारी रख सकती है

Machine Translated by Google

मृतक साझेदार के सीआईएफ पर परिचालन को प्रतिबंधित करने के अलावा खाते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
हालांकि, जीवित साझेदार समापन के उद्देश्य से खाते का संचालन कर सकते हैं; और जीवित साझेदार द्वारा निकाले गए किसी भी चेक का भुगतान किया जा सकता है।
मृतक साझेदार द्वारा निकाले गए और उसके बाद प्रस्तुत किए गए चेक
मृत्यु होने पर, भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। शाखाओं को जीवित साझेदारों से अनुरोध करना चाहिए कि वे सभी द्वारा हस्ताक्षरित चेक तैयार करके खाता बंद कर दें और एक नया खाता खोलें जिसके माध्यम से आगे के सभी लेन-देन किए जा सकें।

संयुक्त हिंदू परिवार फर्म खाते

कर्ता की मृत्यु होने पर खाते में परिचालन प्रतिबंधित हो जाएगा। नए कर्ता की नियुक्ति पर सभी सह-भागीदारों से घोषणा प्राप्त होने और नए कर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सभी केवाईसी दस्तावेज, सीआईएफ और खाता रखरखाव फॉर्म प्राप्त होने के बाद खाते के परिचालन की अनुमति दी जा सकती है।

ट्रस्ट खाते

ट्रस्टियों को संयुक्त रूप से कार्य करना चाहिए जब तक कि ट्रस्ट डीड में इसके विपरीत कोई स्पष्ट प्रावधान न हो। किसी भी ट्रस्टी की मृत्यु की स्थिति में, खाते पर परिचालन रोक दिया जाना चाहिए जब तक कि संबंधित ट्रस्ट डीड में यह प्रावधान न हो कि ट्रस्टी को ट्रस्ट डीड में कोई अधिकार नहीं दिया गया है।
जीवित ट्रस्टी को कार्य करने के लिए स्पष्ट शक्तियाँ प्रदान करना। ट्रस्ट डीड में किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, बैंक के लिए यह मान लेना सुरक्षित नहीं है कि जीवित ट्रस्टियों के पास खाते से निपटने के लिए पूर्ण शक्तियाँ हैं।
इसलिए, शाखाओं को जीवित ट्रस्टियों को खाते पर परिचालन करने या शेष राशि निकालने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
एकमात्र ट्रस्टी की मृत्यु होने पर खाते का परिचालन तुरंत बंद कर देना चाहिए। उक्त खाते को बंद करने या जारी रखने के लिए न्यायालय का आदेश अनिवार्य है।

निष्पादक और प्रशासक के खाते

किसी निष्पादक या प्रशासक की मृत्यु पर, जब तक कि वसीयत या प्रोबेट या प्रशासन पत्र में अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, पदाधिकारियों की सभी शक्तियाँ जीवित निष्पादकों या प्रशासकों में निहित हो जाती हैं। खाते को सह-निष्पादक(ओं) द्वारा संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन मृतक निष्पादक या प्रशासक द्वारा हस्ताक्षरित और उनकी मृत्यु की सूचना के बाद प्रस्तुत किए गए चेक का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए।

एकमात्र निष्पादक या प्रशासक की मृत्यु की स्थिति में, नए प्रशासक की नियुक्ति के लिए न्यायालय से नया आदेश प्राप्त करना आवश्यक होगा।

लिमिटेड कंपनी के खाते

यदि किसी व्यक्ति को किसी लिमिटेड कंपनी के खाते को संचालित करने के लिए अधिकृत किया गया है और उसकी मृत्यु की सूचना प्राप्त होती है, तो कंपनी के ऐसे व्यक्ति द्वारा निकाले गए बकाया चेक का भुगतान अभी भी किया जा सकता है। कंपनी द्वारा अपने खाते के संचालन के संबंध में प्रस्तुत बोर्ड के प्रस्ताव की शाखा द्वारा जांच की जानी चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि क्या कोई संशोधन या नया प्रस्ताव आवश्यक है।

एसोसिएशन, सोसायटी, क्लब खाता

लिमिटेड कंपनी के खाते के संबंध में दिए गए निर्देश एसोसिएशन, सोसायटी, क्लब आदि के खातों पर भी लागू होंगे।

पावर ऑफ अटॉर्नी या लेटर ऑफ मैंडेट धारक द्वारा संचालित खाते

प्रिंसिपल की मृत्यु होने पर अटॉर्नी या मैंडेट धारक का अधिकार रद्द हो जाता है। प्रिंसिपल की मृत्यु की सूचना मिलने के बाद खाते का संचालन तुरंत रोक दिया जाना चाहिए और अटॉर्नी/मैंडेट धारक द्वारा हस्ताक्षरित किसी भी चेक का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए।

जमा खातों में शेष राशि का निपटान

उत्तरजीवी/नामांकित व्यक्ति खंड के साथ देयता खाते

Machine Translated by Google

ऐसे जमा खातों के मामले में, जहां जमाकर्ता ने नामांकन सुविधा का उपयोग किया था और वैध नामांकन किया था या जहां खाता उत्तरजीविता खंड ("दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी", या "कोई भी या उत्तरजीवी", या "पूर्व या उत्तरजीवी" या "उत्तरवर्ती या उत्तरजीवी") के साथ खोला गया था, मृत जमा खाताधारक के उत्तरजीवी(यों)/नामांकित व्यक्ति को जमा खाते में शेष राशि का भुगतान बैंक के दायित्व का वैध निर्वहन माना जाएगा, बशर्ते:

- बैंक ने उत्तरजीवी/नामांकित व्यक्ति की पहचान तथा खाताधारक की मृत्यु के तथ्य को उचित दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से स्थापित करने में उचित सावधानी और सतर्कता बरती है।
- बैंक को ऋण से भुगतान करने से रोकने के लिए सक्षम न्यायालय का कोई आदेश नहीं है।
  मृतक का विवरण; और
- उत्तरजीवी/नामांकित व्यक्ति को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वह मृतक जमाकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों के ट्रस्टी के रूप में बैंक से भुगतान प्राप्त करेगा, अर्थात, उसे किया गया ऐसा भुगतान उत्तरजीवी/नामांकित व्यक्ति, जिसे भुगतान किया गया है, के विरुद्ध किसी व्यक्ति के अधिकार या दावे को प्रभावित नहीं करेगा।

चूंकि उत्तरजीवी/नामांकित व्यक्ति को किया गया भुगतान, पूर्वोक्त शर्तों के अधीन, बैंक के दायित्व का पूर्ण निर्वहन माना जाएगा, इसलिए मृतक जमाकर्ता के उत्तरजीवी/नामांकित व्यक्ति को भुगतान करते समय बैंक उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र, प्रशासन पत्र या प्रोबेट प्रस्तुत करने पर जोर नहीं देगा।

आदि, या उत्तरजीवी/नामांकित व्यक्ति से क्षतिपूर्ति या जमानत का कोई बांड प्राप्त करें, भले ही मृतक खाताधारक के खाते में कितनी भी राशि जमा हो।

मृत व्यक्तिगत जमाकर्ता/एकल स्वामित्व वाली संस्था के नाम पर चालू खाते में शेष राशि के मामले में, जमाकर्ता की मृत्यु की तिथि से लेकर दावेदार/दावेदारों को पुनर्भुगतान की तिथि तक भुगतान की तिथि को बचत जमा पर लागू ब्याज दर पर ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए।

शाखा प्रमुख/क्लस्टर प्रमुख/संचालन प्रमुख निम्नलिखित ग्रिड के अनुसार ऐसे भुगतानों को अनुमोदित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे:

- शाखा प्रमुख – 1 लाख तक।
- क्लस्टर हेड – 1 लाख से 5 लाख तक।
- ऑपरेशन हेड – 5 लाख और उससे अधिक।

दावों के लिए दस्तावेजी आवश्यकताएँ - नामांकन के साथ देयता खाते:

- दावा प्रपत्र.
- नगर निगम अधिकारियों/सरकारी विभाग द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र। फोटोकॉपी होनी चाहिए
  बैंक अधिकारी द्वारा देखी गई मूल प्रति।
- भारत में अंग्रेजी भाषा के अलावा अन्य भाषा में जारी मृत्यु प्रमाण पत्र का बैंक द्वारा अनुवाद किया जाएगा।
  भारत।

भारत के बाहर जारी किए गए मृत्यु प्रमाण पत्र (डीसी) के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र को डीसी जारी करने वाले देश में स्थित भारतीय दूतावास या भारत में स्थित डीसी जारी करने वाले देश के दूतावास द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

- यदि मृत्यु प्रमाण-पत्र अंग्रेजी में नहीं लिखा गया है और भारत के बाहर जारी किया गया है तो इसे आधिकारिक अनुवादक द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए और लेटरहेड पर होना चाहिए।
- कानूनी उत्तराधिकारी/उत्तरजीवी/नामांकित व्यक्ति के केवाईसी विवरण और प्रमाण।
- नामांकन की ग्राहक प्रति, यदि कोई हो।
- दावेदार(ओं) का खाता विवरण (यदि उपलब्ध हो)।

उत्तरजीवी/नामांकित व्यक्ति खंड के बिना खाते

ऐसे मृतक खाते में जहां न तो उत्तरजीविता खंड है और न ही नामांकन, बैंक परिसंपत्तियां केवल कानूनी उत्तराधिकारियों को ही सौंपेगा।

ऐसे मामले में जहां मृतक जमाकर्ता ने कोई नामांकन नहीं किया हो या खाते नहीं खोले गए हों

Machine Translated by Google

उत्तरजीविता खंड ("दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी", या "कोई भी या उत्तरजीवी", या "पूर्व या उत्तरजीवी" या "उत्तरवर्ती या उत्तरजीवी") के अनुसार, बैंक आम आदमी को असुविधा और अनुचित कठिनाई से बचाने की अनिवार्य आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जमाकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों को पुनर्भुगतान के लिए एक सरलीकृत प्रक्रिया का पालन करेगा।

कानूनी प्रतिनिधित्व के बिना निपटान:

- ऐसे मामलों में जहां कुल दावा राशि 5 लाख रुपये (पांच लाख रुपये) से अधिक नहीं है, दावे का निपटारा कानूनी प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किए बिना क्षतिपूर्ति-सह-शपथ-पत्र के आधार पर किया जाएगा। यह तभी लागू होता है जब:

  क) ग्राहक की मृत्यु बिना वसीयत के हुई है और
  ख) कानूनी उत्तराधिकारियों और सभी कानूनी उत्तराधिकारियों (उनके अलावा जो
  अस्वीकरण पत्र प्रस्तुत कर दिया है) बैंक को क्षतिपूर्ति देने में शामिल हैं और दावेदार(ओं) की वास्तविकता के बारे में कोई उचित संदेह नहीं है क्योंकि वे एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी हैं।
  कानूनी प्रतिनिधित्व के बिना निपटान के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- नगर निगम अधिकारियों/सरकारी विभाग द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र। फोटोकॉपी होनी चाहिए
  बैंक अधिकारी द्वारा देखा गया मूल

भारत में अंग्रेजी भाषा के अलावा अन्य भाषा में जारी मृत्यु प्रमाण पत्र का भारत में बैंक द्वारा अनुवाद किया जाएगा।

- भारत के बाहर जारी किए गए मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने वाले देश में स्थित भारतीय दूतावास या भारत में स्थित मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने वाले देश के दूतावास द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

- यदि मृत्यु प्रमाण-पत्र अंग्रेजी में नहीं लिखा गया है और भारत के बाहर जारी किया गया है तो इसे आधिकारिक अनुवादक द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए और लेटरहेड पर होना चाहिए।
- सभी कानूनी उत्तराधिकारियों के केवाईसी विवरण और प्रमाण।
- दावेदार(ओं) का खाता विवरण (यदि उपलब्ध हो)।
- दावा प्रपत्र दावेदार(ओं) द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए, पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों के अलावा
  अस्वीकरण का.
- अस्वीकरण पत्र.
- मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों के संबंध में दावा प्रपत्र में घोषणा पर निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं-a) एक स्वतंत्र व्यक्ति जो मृतक के परिवार को अच्छी तरह से जानता हो लेकिन उससे संबद्ध न हो।
  और बैंक को स्वीकार्य हो; या
  ख) बैंक के किसी भी खाताधारक द्वारा जो मृतक के परिवार को जानता हो लेकिन उससे जुड़ा न हो।
  इसके साथ; या
  ग) किसी सरकारी अधिकारी द्वारा, जिसका हस्ताक्षर बैंक द्वारा सत्यापित हो।
- दावेदार(ओं) से क्षतिपूर्ति का मुहर लगा हुआ पत्र।
- एक जमानतदार राशि के लिए या दो जमानतदार संयुक्त रूप से राशि के लिए। कोई भी कानूनी उत्तराधिकारी जिसने अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों के पक्ष में अस्वीकरण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, वह जमानतदार के रूप में खड़ा हो सकता है यदि वह दावे की राशि के लिए स्वतंत्र रूप से अच्छा है।

कानूनी प्रतिनिधित्व के साथ समझौता

ऐसे मामले जहां कुल दावा राशि 5 लाख रुपये (पांच लाख रुपये) से अधिक है, या अपेक्षित दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं
उपलब्ध नहीं है / कानूनी प्रतिनिधित्व के बिना निपटान के लिए शर्तें पूरी नहीं होती हैं, दावे का निपटान कानूनी प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाएगा। कानूनी प्रतिनिधित्व वह है जो न्यायालय द्वारा प्रदान किया जाता है
मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को मृतक के ऋण/प्रतिभूतियाँ या संपत्तियाँ वसूलने का अधिकार देने वाला कानून। बैंक
कानूनी प्रतिनिधित्व के माध्यम से मामले को निपटाने का विकल्प चुन सकते हैं। निम्नलिखित दस्तावेज़ कानूनी प्रतिनिधित्व के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं:

- उत्तराधिकार प्रमाण पत्र

Machine Translated by Google

- वसीयत और प्रोबेट
- प्रशासन पत्र
- प्रशासनिक जनरल का आदेश उच्च न्यायालय से संलग्न

कानूनी प्रतिनिधित्व के साथ दावों का निपटान बैंक के कानूनी विभाग द्वारा सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की उचित जांच के बाद किया जाएगा।

शाखा प्रमुख/क्लस्टर प्रमुख/संचालन प्रमुख, विधि विभाग की मंजूरी के बाद निम्नलिखित ग्रिड के अनुसार ऐसे भुगतानों को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे:

- शाखा प्रमुख – 1 लाख तक।
- क्लस्टर हेड – 1 लाख से 5 लाख तक।
- ऑपरेशन हेड – 5 लाख और उससे अधिक।

दावों का निपटान

मृतक के खाते में जमा शेष राशि का भुगतान करके बैंक को वैध मुक्ति मिल जाती है।
मृतक जमाकर्ताओं के संबंध में दावों का निपटान करें और उत्तरजीवी/नामांकित व्यक्ति वाले खातों के मामले में उत्तरजीवी/नामांकित व्यक्ति को भुगतान जारी करें, जो दावे की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए, बशर्ते कि बैंक की मौजूदा नीति के अनुसार आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं, ताकि बैंक संतुष्ट हो सके। उत्तरजीवी/नामांकित व्यक्ति खंड के बिना खातों के मामले में दावे का निपटान उस तारीख से 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए, जिस दिन बैंक की संतुष्टि के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। किसी भी दावे का निपटान करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाना चाहिए:

नामांकन के साथ

बचत खाता

व्यक्तिगत खाता

बकाया शेष राशि नामिती को भुगतान की जाएगी।

संयुक्त धारक खाते, उत्तरजीविता अधिदेश के बिना

संयुक्त खाताधारकों में से किसी एक (या अधिक, किन्तु सभी नहीं) की मृत्यु की स्थिति में, बकाया राशि का भुगतान उत्तरजीवी (उत्तरजीवियों) तथा मृतक जमाकर्ता के नामिती को संयुक्त रूप से किया जाएगा।
दोनों/सभी संयुक्त खाताधारकों की मृत्यु की स्थिति में, जमाकर्ता की मृत्यु के समय बकाया शेष राशि नामित व्यक्ति को भुगतान की जाएगी।

संयुक्त धारक खाते, उत्तरजीविता अधिदेश के साथ

एक (या अधिक, किन्तु सभी नहीं) जमाकर्ताओं की मृत्यु की स्थिति में, बकाया राशि उत्तरजीवी को भुगतान की जाएगी।

दोनों/सभी संयुक्त जमाकर्ताओं की मृत्यु की स्थिति में, बकाया राशि नामिती को भुगतान की जाएगी।

चालू खाता

दावों के निपटान के लिए कृपया बिन्दु संख्या 2 में दिए गए निर्देश देखें।

सावधि जमा खाता

व्यक्तिगत खाता

जमाकर्ता की पहचान सत्यापित करने तथा जमाकर्ता की मृत्यु का प्रमाण प्रस्तुत करने पर, नामित व्यक्ति को बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। जमा के लिए नामित नामित व्यक्ति को उक्त जमा राशि को समय से पहले निकालने का अधिकार है।

Machine Translated by Google

ऐसी जमाराशियों की आय का नामिती को भुगतान बैंक के दायित्व से वैध मुक्ति का प्रतिनिधित्व करेगा।

संयुक्त धारक खाते, उत्तरजीविता अधिदेश के बिना

संयुक्त खाताधारकों में से किसी एक (या अधिक, किन्तु सभी नहीं) की मृत्यु की स्थिति में, बकाया राशि का भुगतान उत्तरजीवी (उत्तरजीवियों) तथा मृतक जमाकर्ता के नामिती को संयुक्त रूप से किया जाएगा।
दोनों/सभी संयुक्त खाताधारकों की मृत्यु की स्थिति में, खाताधारक की मृत्यु के समय बकाया शेष राशि
जमाकर्ताओं की जमाराशि का भुगतान नामांकित व्यक्ति को किया जाएगा। मृतक जमाकर्ता की जमाराशि परिपक्व होने पर समयपूर्व जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

संयुक्त धारक खाते, उत्तरजीविता अधिदेश के साथ

जमाकर्ताओं में से एक (या अधिक लेकिन सभी नहीं) की मृत्यु की स्थिति में, अतिदेय जमा में बकाया शेष राशि का भुगतान नामांकित व्यक्ति को किया जाएगा। सभी अपरिपक्व जमाराशियों के लिए, जीवित जमाकर्ता के विवेक के आधार पर परिपक्वता तक भुगतान जारी रहेगा।

दोनों/सभी संयुक्त जमाकर्ताओं की मृत्यु की स्थिति में, बकाया राशि नामिती को भुगतान की जाएगी।

सुरक्षित जमा लॉकर

मृतक के दावे की प्रक्रिया के लिए नामित व्यक्ति को लॉकर की चाबी साथ ले जाना आवश्यक है। यदि नामित व्यक्ति या जीवित किराएदार के पास चाबी उपलब्ध नहीं है, तो लॉकर पॉलिसी में परिभाषित लॉकर को तोड़ने की प्रक्रिया का पालन करना होगा।

व्यक्तिगत किरायेदार

नामित व्यक्ति को पहचान और सत्यापन के आधार पर लॉकर तक पहुंचने और उसमें रखी सामग्री निकालने की अनुमति दी जाएगी।

लॉकर किराएदार की मृत्यु का प्रमाण। नामित व्यक्ति को सेफडिपॉजिट लॉकर की सामग्री निकालने की अनुमति देने से पहले,
बैंक नामिती और दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में वस्तुओं की सूची तैयार करेगा।

संयुक्त किराये पर काम करने वाले, उत्तरजीविता अधिदेश के बिना

संयुक्त लॉकर किरायेदारों में से एक (या अधिक, लेकिन सभी नहीं) की मृत्यु की स्थिति में, नामिती को जीवित किरायेदार के साथ लॉकर किरायेदार की पहचान और मृत्यु के प्रमाण के सत्यापन पर संयुक्त रूप से लॉकर तक पहुंचने और सामग्री को हटाने की अनुमति दी जाएगी। दोनों/ सभी संयुक्त लॉकर किरायेदारों की मृत्यु की स्थिति में, नामिती को उसकी/उनकी मृत्यु की पुष्टि होने पर लॉकर तक पहुंचने और सामग्री को हटाने की अनुमति दी जाएगी।

किरायेदारों की पहचान और मृत्यु के प्रमाण का सत्यापन। जीवित किरायेदार(ओं) और/या को अनुमति देने से पहले
यदि नामिती(यों) को सुरक्षित जमा लॉकर की सामग्री निकालने के लिए कहा जाता है, तो बैंक दो स्वतंत्र गवाहों के साथ उनकी उपस्थिति में वस्तुओं की एक सूची तैयार करेगा।

संयुक्त किराये पर काम करने वाले, उत्तरजीविता अधिदेश के साथ

वर्तमान में बीआर अधिनियम (धारा 45 जेडई) "दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी" / "पूर्व या उत्तरजीवी" / "कोई भी या उत्तरजीवी" / "उत्तरजीवी या उत्तरजीवी" अधिदेश वाले लॉकरों के संबंध में नामांकन सुविधा प्रदान नहीं करता है। इसलिए इस संबंध में परिचालन निर्देश नहीं दिए गए हैं। हालाँकि, उपरोक्त अधिनियम के अनुसार, नामांकन सुविधा केवल वहीं उपलब्ध है जहाँ लॉकरों में संचालन सभी किराएदारों के संयुक्त हस्ताक्षरों के तहत 'संयुक्त रूप से' किया जाता है।

बिना नामांकन के

बचत खाता

व्यक्तिगत खाता

बकाया राशि कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रमाणित वसीयत (यदि मृतक ने वसीयत छोड़ी है) को भुगतान की जाएगी।

Machine Translated by Google

या उनमें से किसी एक को, जैसा कि सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा कानूनी उत्तराधिकारियों की पहचान/प्राधिकरण के सत्यापन और जमाकर्ता की मृत्यु का प्रमाण प्रस्तुत करने पर अनिवार्य किया गया हो।

संयुक्त धारक खाते, उत्तरजीविता अधिदेश के बिना

संयुक्त खाताधारकों में से एक (या अधिक, किन्तु सभी नहीं) की मृत्यु की स्थिति में, बकाया राशि का भुगतान उत्तरजीवी(यों) और मृतक खाताधारक के कानूनी उत्तराधिकारियों (या सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा अधिदेशित उनमें से किसी एक को) को कानूनी उत्तराधिकारियों के प्राधिकार के सत्यापन और जमाकर्ता की मृत्यु का प्रमाण प्रस्तुत करने पर उनके संयुक्त दावे के विरुद्ध संयुक्त रूप से किया जाएगा।

दोनों/सभी संयुक्त खाताधारकों की मृत्यु की स्थिति में, बकाया राशि का भुगतान सभी मृतक जमाकर्ताओं (या किसी भी) के कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रमाणित वसीयत (यदि मृतक ने वसीयत छोड़ी है) को संयुक्त रूप से किया जाएगा।
(जैसा कि सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा अनिवार्य किया गया है) कानूनी उत्तराधिकारियों के प्राधिकार के सत्यापन तथा जमाकर्ताओं की मृत्यु के प्रमाण के आधार पर।

संयुक्त धारक खाते, उत्तरजीविता अधिदेश के साथ

एक (या अधिक, किन्तु सभी नहीं) जमाकर्ताओं की मृत्यु की स्थिति में, जमाकर्ता की मृत्यु के प्रमाण के सत्यापन के पश्चात बकाया राशि उत्तरजीवी को भुगतान की जाएगी।

दोनों/सभी संयुक्त जमाकर्ताओं की मृत्यु की स्थिति में, बकाया राशि कानूनी उत्तराधिकारी को संयुक्त रूप से भुगतान की जाएगी।
उत्तराधिकारियों (या सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा निर्धारित उनमें से किसी एक)/ प्रमाणित वसीयत (यदि मृतक ने वसीयत छोड़ी है) के प्राधिकार के सत्यापन और जमाकर्ताओं की मृत्यु के प्रमाण के आधार पर।

चालू खाता

दावों के निपटान के लिए कृपया बिन्दु संख्या 2 में दिए गए निर्देश देखें।

सावधि जमा खाता

व्यक्तिगत खाते

बकाया राशि कानूनी उत्तराधिकारियों (या सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा आदेशित उनमें से किसी एक को)/ प्रमाणित वसीयत (यदि मृतक ने वसीयत छोड़ी है) को कानूनी उत्तराधिकारी की पहचान/प्राधिकरण के सत्यापन के बाद भुगतान की जाएगी।
उत्तराधिकारियों और जमाकर्ता की मृत्यु का प्रमाण प्रस्तुत करना (समयपूर्व जुर्माना नहीं लगाया जाएगा)। सभी कानूनी उत्तराधिकारियों (या सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से उनमें से किसी एक) द्वारा संयुक्त अनुरोध पर समयपूर्व समाप्ति की अनुमति दी जाएगी।

संयुक्त धारक खाते, उत्तरजीविता अधिदेश के बिना

संयुक्त खाताधारकों में से एक (या अधिक, किन्तु सभी नहीं) की मृत्यु की स्थिति में, बकाया राशि मृतक संयुक्त खाताधारकों के उत्तरजीवी(यों) और कानूनी उत्तराधिकारी(यों) को संयुक्त रूप से भुगतान की जाएगी (या उनमें से किसी एक को)
सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा अधिदेशित) कानूनी उत्तराधिकारियों के प्राधिकार के सत्यापन और जमाकर्ता की मृत्यु के प्रमाण पर उनके संयुक्त दावे के विरुद्ध जमा की परिपक्वता पर (समयपूर्व जुर्माना नहीं लगाया जाएगा)।
दोनों/सभी संयुक्त खाताधारकों की मृत्यु की स्थिति में, बकाया राशि सभी मृतक जमाकर्ताओं के कानूनी उत्तराधिकारियों (या सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा अधिदेशित उनमें से किसी एक) को कानूनी उत्तराधिकारियों के अधिकार के सत्यापन और जमाकर्ताओं की मृत्यु के प्रमाण पर संयुक्त रूप से भुगतान की जाएगी। जमा की परिपक्वता पर समयपूर्व जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

संयुक्त धारक खाते, उत्तरजीविता अधिदेश के साथ

जमाकर्ताओं में से किसी एक (या अधिक, किन्तु सभी नहीं) की मृत्यु की स्थिति में, अतिदेय/परिपक्व जमाराशियों में बकाया शेष राशि, जमाराशि की परिपक्वता पर जमाकर्ता की मृत्यु के प्रमाण के सत्यापन पर या जमाराशि खोलते समय हुई सहमति के अनुसार उत्तरजीवियों को भुगतान की जाएगी।

Machine Translated by Google

यदि परिचालन निर्देश 'या तो या उत्तरजीवी' है और जमाकर्ताओं में से एक की मृत्यु परिपक्वता से पहले हो जाती है, तो जमाकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों की सहमति के बिना सावधि/आवधिक जमा का कोई पूर्व भुगतान नहीं किया जा सकता है।
मृतक संयुक्त धारक। हालांकि, यह परिपक्वता पर उत्तरजीवी को भुगतान करने के रास्ते में नहीं आएगा। यदि अधिदेश 'पूर्व या उत्तरजीवी' है, तो यदि पूर्व की मृत्यु सावधि/अवधि जमा की परिपक्वता से पहले हो जाती है, तो 'उत्तरजीवी' परिपक्वता पर जमा राशि वापस ले सकता है। हालांकि, समय से पहले निकासी के लिए

किसी एक जमाकर्ता की मृत्यु होने पर जीवित जमाकर्ता और मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों की सहमति। सभी संयुक्त जमाकर्ताओं की मृत्यु की स्थिति में, बकाया राशि सभी मृतक जमाकर्ताओं के कानूनी उत्तराधिकारियों (या संयुक्त धारकों के सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा अधिदेशित उनमें से किसी एक) को कानूनी उत्तराधिकारियों के अधिकार के सत्यापन और जमाकर्ताओं की मृत्यु के प्रमाण के आधार पर भुगतान की जाएगी। जमा की परिपक्वता पर समयपूर्व जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

सुरक्षित जमा लॉकर

मृतक के दावे की प्रक्रिया के लिए कानूनी उत्तराधिकारियों को लॉकर की चाबी साथ रखना आवश्यक है। यदि चाबी कानूनी उत्तराधिकारियों या जीवित किरायेदार के पास उपलब्ध नहीं है, तो लॉकर पॉलिसी में परिभाषित लॉकर को तोड़ने की प्रक्रिया का पालन करना होगा।

व्यक्तिगत किरायेदार

मृतक लॉकर किरायेदार/प्रोबेटेड वसीयत (यदि मृतक ने वसीयत छोड़ी है) के कानूनी उत्तराधिकारी या कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति को सत्यापन के बाद लॉकर तक पहुंचने और उसमें रखी सामग्री को निकालने की अनुमति दी जाएगी।
लॉकर किराएदार की मृत्यु का प्रमाण। कानूनी उत्तराधिकारी को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।
कानूनी उत्तराधिकारियों को सुरक्षित जमा लॉकर की सामग्री निकालने की अनुमति देने से पहले बैंक कानूनी उत्तराधिकारियों/अधिकार धारक और दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में वस्तुओं की एक सूची तैयार करेगा।

संयुक्त किराये पर काम करने वाले, उत्तरजीविता अधिदेश के बिना

लॉकर किराएदारों में से एक (या अधिक लेकिन सभी नहीं) की मृत्यु की स्थिति में, जीवित किराएदार और उनके कानूनी उत्तराधिकारी
मृतक किरायेदार (या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति) को कानूनी उत्तराधिकारियों के अधिकार के सत्यापन और किरायेदार की मृत्यु के प्रमाण के आधार पर लॉकर तक पहुंचने और उसमें रखी सामग्री को निकालने की अनुमति दी जाएगी।
दोनों/सभी संयुक्त लॉकर किरायेदारों की मृत्यु की स्थिति में, सभी कानूनी उत्तराधिकारियों (या सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा आदेशित उनमें से किसी एक) को कानूनी उत्तराधिकारियों के प्राधिकार के सत्यापन और लॉकर किरायेदारों की मृत्यु के प्रमाण के आधार पर लॉकर तक पहुंचने और उसमें रखी सामग्री को निकालने की अनुमति दी जाएगी।

जीवित किरायेदारों और अधिकृत कानूनी उत्तराधिकारियों को सुरक्षित जमा लॉकर की सामग्री निकालने की अनुमति देने से पहले, बैंक को जीवित किरायेदारों, अधिकृत कानूनी उत्तराधिकारियों और दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में वस्तुओं की एक सूची तैयार करनी होगी।

संयुक्त किराये पर काम करने वाले, उत्तरजीविता अधिदेश के साथ

घटना में (धारा 45 ज़ेडई) "दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी" "पूर्व या उत्तरजीवी" / "कोई भी या उत्तरजीवी" / "उत्तरवर्ती या उत्तरजीवी" अधिदेश वाले लॉकरों के संबंध में नामांकन सुविधा प्रदान नहीं करता है। इसलिए इस संबंध में परिचालन निर्देश नहीं दिए गए हैं।

सभी लॉकर किरायेदारों की मृत्यु की स्थिति में, मृतक संयुक्त किरायेदारों के सभी कानूनी उत्तराधिकारी (या उनमें से कोई एक)
जैसा कि सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा अनिवार्य किया गया है) को कानूनी उत्तराधिकारियों के प्राधिकार के सत्यापन और लॉकर किरायेदारों की मृत्यु के प्रमाण के आधार पर लॉकर तक पहुंचने और उसमें रखी सामग्री को निकालने की अनुमति दी जाएगी।
जीवित किरायेदारों/कानूनी उत्तराधिकारियों को सुरक्षित जमा लॉकर की सामग्री निकालने की अनुमति देने से पहले, बैंक को
जीवित किरायेदारों/कानूनी उत्तराधिकारियों और दो स्वतंत्र व्यक्तियों की उपस्थिति में वस्तुओं की सूची तैयार करें
गवाहों.

अन्य

Machine Translated by Google

मृतक रिश्तेदार द्वारा जमा की गई राशि के बारे में नामिती/कानूनी उत्तराधिकारी को जानकारी नहीं:

यदि नामिती को मृतक जमाकर्ता की धनराशि के बारे में जानकारी नहीं है, तो बैंक धनराशि के निपटान के लिए नामिती का पता लगाने का प्रयास करेगा।

नामांकित व्यक्ति/दावेदार विदेश में है:

उसके निवास देश में भारतीय दूतावास द्वारा सभी दस्तावेजों का सत्यापन किए जाने तथा बैंक द्वारा सत्यापन की पुष्टि प्राप्त होने के बाद ही कार्यवाही का निपटान किया जाएगा।

नामांकित व्यक्ति/दावेदार ऐसे स्थान पर निवास कर रहा हो जहां SSFB की कोई शाखा नहीं है:

यदि नामित व्यक्ति किसी ऐसे स्थान पर रहता है जो दूर है, तो सभी आवश्यक दस्तावेज कूरियर के माध्यम से प्राप्त होने पर आय का निपटान किया जा सकता है। नामांकन न होने की स्थिति में, पॉलिसी में परिभाषित सभी दस्तावेजों के साथ कानूनी वारिसों/उत्तराधिकारियों की उपस्थिति के बिना आय का निपटान नहीं किया जाएगा।

मृत जमाकर्ता(ओं) के सावधि जमा खातों के मामले में ब्याज का भुगतान

मृतक जमाकर्ता की सावधि जमा के मामले में, ब्याज का भुगतान नीचे दर्शाए गए तरीके से किया जाएगा:

- यदि दावे के भुगतान की तारीख जमा की परिपक्वता की तारीख है, तो परिपक्वता राशि का भुगतान उसी समय किया जाएगा।
  अनुबंधित दर.
- समय से पहले निकासी के मामले में, यानी परिपक्वता तिथि से पहले जमा राशि के भुगतान का दावा किए जाने की स्थिति में - उस अवधि के संदर्भ में लागू दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा
  जिसके लिए जमा किया गया था।
  भुगतान की तिथि तक जमा राशि बिना किसी दंड के बैंक के पास रही है।
  परिपक्वता तिथि के बाद के दावों के लिए और कोई स्वतः नवीनीकरण निर्देश मौजूद नहीं होने पर –
- यदि ग्राहक की मृत्यु की तिथि परिपक्वता तिथि से पहले है, तो बैंक परिपक्वता तिथि तक अनुबंधित दर पर ब्याज का भुगतान करेगा। परिपक्वता तिथि से लेकर भुगतान की तिथि तक, बैंक

  परिपक्वता तिथि के बाद बैंक में जमाराशि रहने की अवधि के लिए, परिपक्वता तिथि को लागू दर पर साधारण ब्याज का भुगतान करें।

- यदि ग्राहक की मृत्यु की तारीख जमा की परिपक्वता तिथि के बाद है, तो बैंक ब्याज का भुगतान करेगा
  परिपक्वता तिथि से भुगतान की तिथि तक परिपक्वता राशि पर परिपक्वता तिथि को प्राप्त बचत जमा दर।

  समय से पूर्व निकासी पर कोई दंडात्मक शुल्क नहीं लगेगा।

एनआरई जमा के मामले में, जब दावेदार निवासी हों, तो परिपक्वता पर जमा को घरेलू रुपया जमा माना जाना चाहिए तथा दावे का निपटान होने तक समान परिपक्वता की घरेलू जमा पर लागू दर पर आगामी अवधि के लिए ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए।

यदि टीडी (सावधि जमा) खाताधारक की मृत्यु उसके टीडी खाते की परिपक्वता से पहले हो जाती है और नामित व्यक्ति ने बैंक को सूचित किया है कि वह उक्त टीडी खाते को परिपक्वता तक जारी रखे और बैंक को कानूनी वारिस (यदि कोई हो) से एनओसी लेने के बाद नामित व्यक्ति के अनुरोध को मानने का अधिकार है और नामित व्यक्ति परिपक्वता तक टीडी खाता जारी रख सकता है। इस परिदृश्य में, शाखा प्रमुख/क्लस्टर प्रमुख/संचालन प्रमुख ऐसे निर्देश/अनुरोध को स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे, यदि टीडी राशि निम्नलिखित ग्रिड के अनुसार है:

- शाखा प्रमुख – 1 लाख तक।
- क्लस्टर हेड – 1 लाख से 5 लाख तक।
- संचालन प्रमुख – 5 लाख और उससे अधिक।

शेष टीडी खाता अवधि (परिपक्वता तक) के आधार पर अनुमोदन मैट्रिक्स

- शाखा प्रमुख – 1 वर्ष से कम या बराबर
- क्लस्टर हेड – 5 वर्ष से कम या बराबर

Machine Translated by Google

• परिचालन प्रमुख – 10 वर्ष से कम या बराबर

यदि एलटीडी (दीर्घकालिक जमा) खाताधारक की मृत्यु उसके एलटीडी खाते की परिपक्वता से पहले हो जाती है और नामित व्यक्ति ने बैंक को सूचित किया है कि उक्त एलटीडी खाते को परिपक्वता तक जारी रखा जाए और बैंक को नामित व्यक्ति के अनुरोध को मानने का अधिकार है और नामित व्यक्ति एलटीडी खाते को परिपक्वता तक जारी रख सकता है। इस परिदृश्य में, शाखा प्रमुख/क्लस्टर प्रमुख/संचालन प्रमुख ऐसे निर्देश/अनुरोध को स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे, यदि एलटीडी राशि निम्नलिखित ग्रिड के अनुसार है:

• शाखा प्रमुख – 1 लाख तक।
• क्लस्टर हेड – 1 लाख से 5 लाख तक।
• संचालन प्रमुख – 5 लाख और उससे अधिक।

बोर्ड को रिपोर्ट करना

उचित अंतराल पर, निरंतर आधार पर बोर्ड के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें मृतक जमाकर्ताओं/लॉकर-किराएदारों/सुरक्षित अभिरक्षा लेख खातों के जमाकर्ताओं से संबंधित प्राप्त दावों की संख्या तथा निर्धारित अवधि से अधिक समय से लंबित दावों का ब्यौरा तथा कारण बताए जाएंगे।

अनुबंध

अनुलग्नकों का विवरण

अनुलग्नक 'ए'	शपथ पत्र जिसमें यह कहा गया हो कि मृतक की मृत्यु बिना वसीयत के हुई है तथा उसमें उल्लिखित व्यक्ति के अलावा कोई अन्य कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है (स्थानीय कानून के अनुसार मुहर लगाई जानी चाहिए)। शपथ पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत नोटरी/मजिस्ट्रेट/अन्य अधिकारी के समक्ष निष्पादित किया जाना चाहिए (स्थानीय कानून के अनुसार मुहर लगाई जानी चाहिए)। (अनुलग्नक 'ए')
अनुलग्नक 'बी'	सभी कानूनी उत्तराधिकारियों और दो जमानतदारों द्वारा हस्ताक्षरित क्षतिपूर्ति बांड। जमानतदारों की आय दावे की राशि के दोगुने से कम नहीं होनी चाहिए (क्रेडिट जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए और क्रेडिट रिपोर्ट जमा करनी होगी) संकलित किया जाएगा)। क्षतिपूर्ति बांड पर स्थानीय कानूनों के अनुसार स्टाम्प लगाया जाएगा (अनुलग्नक 'बी' के अनुसार)। दो जमानतदारों से क्षतिपूर्ति बांड जिसकी धनराशि दावे की राशि के दोगुने से कम न हो अनुलग्नक 'बी'
अनुलग्नक 'सी'	यदि शाखा प्रमुख उचित जांच के बाद दावेदारों की पहचान, ईमानदारी और ईमानदारी के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट है, तो वह कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, शपथ पत्र और क्षतिपूर्ति बांड के लिए जोर दिए बिना 100000/- रुपये तक के दावे का निपटान कर सकता है। केवल अनुलग्नक में एक घोषणा प्राप्त की जानी चाहिए। 'सी'।
अनुलग्नक 'डी'	यदि दावा 500000 रुपये से कम है, तो क्षतिपूर्ति पत्र (अनुलग्नक 'डी') प्राप्त किया जाना चाहिए क्षतिपूर्ति बांड के स्थान पर।
अनुलग्नक 'ई'	मृतक के परिवार और बैंक (मौजूदा ग्राहक बेहतर होगा) को अच्छी तरह से जानने वाले सम्मानित व्यक्ति/व्यक्तियों से एक घोषणा जिसमें कहा गया हो कि दावेदार ही एकमात्र कानूनी दावेदार हैं। मृतक के उत्तराधिकारी। (अनुलग्नक 'ई')
अनुलग्नक 'एफ'	खाते का परिचालन बंद कर दिया जाएगा तथा शेष राशि जीवित साझेदार को दे दी जाएगी। मृतक साझेदार के कानूनी उत्तराधिकारियों के साथ। (अनुबंध के अनुसार एक पत्र प्राप्त किया जाना है) (अनुलग्नक 'एफ')
अनुलग्नक 'जी'	यदि लॉकर की चाबी खो जाए तो: कानूनी उत्तराधिकारियों के अनुरोध पर तथा बकाया किराया और ड्रिलिंग/मरम्मत की लागत का भुगतान करने के बाद इसे तोड़ा जा सकता है। "अनुलग्नक 'जी' के अनुसार क्षतिपूर्ति भी प्राप्त की जानी चाहिए। उपरोक्तानुसार संयुक्त सूची लेने के बाद, सूची की एक प्रति के साथ वस्तुओं को सीलबंद किया जाना चाहिए और सामान की डिलीवरी की औपचारिकताएं पूरी होने तक उसे सुरक्षित रखा जाएगा।

Machine Translated by Google

अनुलग्नक 'एच'	यदि सभी कानूनी उत्तराधिकारी एक साथ जुड़ते हैं, तो मृत्यु दावे के निपटान की प्रक्रिया जमा खातों के समान ही होती है। इसके अलावा, यदि कानूनी उत्तराधिकारी चाहते हैं कि उनके दावे का निपटान किया जाए क्षतिपूर्ति पत्र, शाखा को अनुलग्नक 'एच' में प्राप्त करना होगा।
अनुलग्नक 'I'	कानूनी प्रतिनिधित्व के बिना दावे का निपटान
अनुलग्नक 'जे'	कानूनी उत्तराधिकारियों का सारांश
अनुलग्नक 'के'	दावों के लिए दस्तावेज़ी आवश्यकता
अनुलग्नक 'एल'	खोई हुई एफ.डी.आर. के लिए क्षतिपूर्ति पत्र
अनुलग्नक 'एम'	दावा प्रपत्र (नामांकन या संयुक्त खाते के साथ)
अनुलग्नक 'एन'	दावा प्रपत्र (नामांकन या संयुक्त खाते(ओं) के बिना)

नोट: सभी अनुलग्नक नीति के साथ पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं।